सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं0-402/2022 दिनांक- 05-दिसम्बर-2022

प्रेस-विज्ञप्ति

पुलिस अधीक्षक ने थाना सरायमीर का किया वार्षिक निरीक्षण

आज दिनांक- 05.12.2022 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा थाना सरायमीर का वार्षिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राहुल रूसिया व अन्य अधिकारी/कर्मचारी गण मौजुद थे, जिसमें पुलिस अधीक्षक द्वारा निम्नवत दिशा-निर्देश दिये गये-

➡थाना परिसर की साफ-सफाई पहले बेहतर व संतोषजनक है।

➡थाना परिसर में नवनिर्माण बैरक में कमियों को देखते हुए थाना प्रभारी को निर्देश।

➡जनसुनवाई की प्रणाली बहुत अच्छी है, जनसुनवाई अधिकारी (आरक्षी नवीन निश्चल पाण्डेय, म0का0 आरती तिवारी, म0का0 शालू सिंह) को 1000 रूपये प्रत्येक व प्रशस्ति पत्र से पुरस्कृत।

➡थाना कार्यालय का निरीक्षण किया गया अभिलेखों की स्थिति संतोषजनक है।

➡सभी आरक्षियों की ड्यूटी हर प्रकार की ड्यूटी लगनी चाहिए इसमें कमी पायी गयी, थाना प्रभारी को हिदायत दी गयी है कि हरेक आरक्षी से हर प्रकार की ड्यूटी ली जाय।

➡शस्त्र खोलने/जोड़ने में कार्यवाही प्रशंसनीय थी, 03 आरक्षियों (का0 मुशाहिद रजा, का0 राजेश यादव व का0 राम सहाय पटेल) को 30-32 सेकेंड में खोलकर जोड़ने के लिए 1000 रूपये प्रत्येक व प्रशस्ति पत्र से पुरस्कृत।

➡CCTNS मुंशी आरक्षी राहुल कुमार यादव को 1000 रूपये व प्रशस्ति पत्र से पुरस्कृत।

➡सलामी गार्द को अच्छा टर्न आउट के लिए पुरस्कृत किया गया।

➡आगामी चुनाव के दृष्टिगत गुण्डा, गैंगेस्टर आदि निरोधात्मक कार्यवाही करने की और आवश्यकता है, थाना प्रभारी को निर्देश।

➡मेस में भोजन बनाने वाले लोग स्वयं साफ सफाई रखें। मेन्यू के अनुसार ही प्रतिदिन भोजन तैयार हो। साग-सब्जियों व आदि राशन को व्यवस्थित तरिके से रेक में रखना सुनिश्चित करें।

➡थाना परिसर में खड़े अपराध शिर्षकवार वाहनों को नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

➡कुर्की से सम्बन्धित माल, अभियुक्त के न्यायालय में हाजिर अदालत होने के उपरान्त भी उसके माल लम्बित है, निर्देशित किया गया कि अविलम्ब बुलाकर नियमानुसार उनके माल को सुपुर्द किया जाय।

थाना सिधारी

गोवध अधिनियम में अभियुक्त कलीम गिरफ्तार, एक दर्जन मुकदमे दर्ज

पूर्व की घटना.. दिनांक 01.11.2022 को वादी मुकदमा उ0नि0 विद्याशंकर पाण्डेय को सूचना मिली कि कुछ लोग पिकप पर गोवंश लाद कर वध करने हेतु मऊ की तरफ ले जाने वाले है। जो इस समय ग्राम जाफरपुर मे पसियाना मोड़ के पास हैं। जिस पर उ0नि0 विद्याशंकर पाण्डेय मय हमराह द्वारा उक्त स्थान पर पहुंचे जहां पर पिकप चालक पुलिस वालों को देखकर अपनी पिकप लेकर नीवी गाँव के तरफ तेजी से भागे जिसका पीछा पुलिस बल द्वारा किया गया तो आगे जाकर पिकप गाड़ी तेजी से होने के कारण पट्टी के गड्ढे में फंसकर रुक गयी और चालक तथा एक अन्य व्यक्ति पिकप से उतर कर भाग गये। पिकप गाड़ी के अन्दर देखने पर एक राशि बैल बारंग सफेद काला तथा एक राशि गाय बारंग काली, रस्सियों से बुरी तरह से बांधी हुयी मिली, के सम्बन्ध में आधार पर मु0अ0सं0- 401/22 धारा 3/5क/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना सिधारी जनपद आजमगढ़, बनाम 1.अशोक गुप्ता पुत्र उदय गुप्ता सा0 सहादतपुर थाना कोतवाली जनपद-मऊ, वाहन सं0- यूपी 65 एआर 0279 का पंजीकृत स्वामी, 2. वाहन सं0- यूपी 65 एआर 0279 का चालक नाम पता अज्ञात के पंजीकृत कराया गया। जिसकी विवेचना उ0न0 अवधेश कुमार द्वारा की जा रही है।

दौरान विवेचना संकलित साक्ष्य के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त 1. एकलाख पुत्र नेयाज ग्राम बरामदपुर थाना मोहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ, 2. कलीम पुत्र स्व0 इस्लाम ग्राम शाहपुर नेवादा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 04.12.2022 को उ0नि0 अवधेश कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त कलीम पुत्र स्व0 इस्लाम ग्राम शाहपुर नेवादा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ बैठौली नहर पुलिया के पास से एक अदद अवैध लोहे के चाकू के साथ समय 19.30 बजे गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि दिनांक 01.11.2022 को मेरा मित्र एकलाख पुत्र नेयाज ग्राम बरामदपुर थाना मोहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ भोर में मेरे घर आया और कहा कि दो जानवर हैं जिसको बिहार ले चलना है। हम दोनों लोग जानवरों को बेचने काटने का धन्धा बहुत पहले से करते चले आ रहे हैं। एकलाख के पास पिकप गाड़ी है हम लोग उसी में जानवर लादकर ले जा रहे थे तो रास्ते में

जाफरपुर नीबी गांव के पास पुलिस वाले पीछा करने लगे तो हम लोग सुबह करीब पांच छः बजे पिकप गाड़ी छोड़कर भाग गये थे। जो पिकप गाड़ी वहां पर हम लोग छोड़कर भागे थे वह मेरे मित्र एकलाख की थी।

पंजीकृत अभियोग -

1-मु0अ0सं0- 401/22 धारा 3/5क/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास

1.मु0अ0सं0 188/20 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम, 3/7/25 आर्म्स एक्ट व 411/413/419/420/467/468/471 भादवि थाना जीयनपुर आजमगढ़

2.मु0अ0सं0-194/18 धारा 308/452/504/506 भादवि थाना जीयनपुर आजमगढ़

3.मु0अ0सं0-203/20 धारा 380/411/413/420/457/467/468/471 भादवि थाना जीयनपुर आजमगढ़

4.मु0अ0सं0-239/20 धारा 379/411/419/420 भादवि थाना जीयनपुर आजमगढ़

5.मु0अ0सं0- 340/18 धारा 323/364 भादवि थाना जीयनपुर आजमगढ़

6.मु0अ0सं0- 442/20 धारा 307/399/402 भादवि थाना जीयनपुर आजमगढ़

7.मु0अ0सं0- 445/20 धारा 411/413 भादवि थाना जीयनपुर आजमगढ़

8.मु0अ0सं0- 64/16 धारा 120बी/382/506 भादवि थाना बिलरियागंज आजमगढ़

9.मु0अ0सं0- 79/18 धारा 302/394 भादवि थाना चौरी जनपद भदोही

10.मु0अ0सं0- 64/19 धारा 174ए भादवि थाना चौरी जनपद भदोही

11.मु0अ0सं0- 401/22 धारा 3/5क/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त

कलीम पुत्र स्व0 इस्लाम ग्राम शाहपुर नेवादा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 34 वर्ष

बरामदगी

1.एक अदद चाकू लोहे का

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1. उ.नि. अवधेश कुमार मय हमराह थाना सिधारी आजमगढ़

थाना- कप्तानगंज

किशोरी के साथ दुष्कर्म का दुसरा आरोपी गिरफ्तार, एक दिन पूर्व ही मुख्य आरोपी हुआ था गिरफ्तार

1.पूर्व की घटना /इतिहास का विवरण- दिनांक 02.12.2022 को वादी थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़ ने थाना कप्तानगंज पर लिखित सूचना दिया वादी की लड़की उम्र लगभग 16 वर्ष है, को स्कूल आते-जाते समय जगदम्बा सोनी पुत्र शिवकुमार सोनी निवासी ग्राम- जलालपुर जगनन्दनपट्टी अपनी कार मे बैठा लिया और अपने जीजा रिंकू सोनी पुत्र सुबाष सोनी के मकान स्थित कप्तानगंज बाजार मे ले जाकर मेरी लडकी के साथ दुष्कर्म कर उसका अश्लील वीडियो बना लिया। अश्लील वीडियो दिखाकर और उसे वायरल करने की धमकी दी गयी, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 337/2022 धारा 376D/506 भा.द.वि. व 3/4 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया।

➡ दिनांक- 04.12.2022 को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त जगदम्बा सोनी पुत्र शिवकुमार सोनी निवासी जलालपुर जगनन्दनपट्टी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ को पासीपुर पुलिया के पास समय करीब 12.45 बजे गिरफ्तार किया गया।

➡मुकदमा उपरोक्त में दुसरा अभियुक्त रिंकू सोनी पुत्र सुबाष सोनी निवासी कस्बा कप्तानगंज थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ फरार चल रहा था।

➡गिरफ्तारी का विवरण – दिनांक- 05.12.2022 को प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार मय उ0नि0 जितेन्द्र सिंह हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित दुसरे अभियुक्त रिंकू सोनी पुत्र सुबाष सोनी निवासी कस्बा कप्तानगंज थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ को जेहरा पिपरी हाइवे के पास समय करीब 08.15 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 337/22 धारा 376D/354ग/506 भादवि व 5छ/6 पाक्सो एक्ट थाना कप्तानगंज आजमगढ़।

अपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. रिंकू सोनी पुत्र सुबाष सोनी निवासी कस्बा कप्तानगंज थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजेश कुमार मय हमराह थाना कप्तानगंज आजमगढ़
2. उ0नि0 जितेन्द्र सिंह मय हमराह थाना कप्तानगंज आजमगढ़